संख्या-23/2015/579 ई-2/तेरह-2015-126/2013

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 15 जून,2015

विषय:-वर्ष 2015-16 हेतु देशी शराब की आपूर्ति अनुमन्य धारिताओं के साथ ही 250 एम0एल0 की धारिता में अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-227/दस-लाइसेंस-367/खण्ड-2/सुझाव आबकारी नीति/2015-16, दिनांक 13 मार्च,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी नीति 2014-15 एवं 2015-16 के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-116 ई-2/तेरह-2014-126/2013, दिनांक 29-01-2014 के क्रम में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13 मार्च,2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2015-16 के लिये देशी शराब की तीनों श्रेणियों-28 प्रतिशत वी/वी, 36 प्रतिशत वी/वी एवं 42.8 प्रतिशत वी/वी में 250 एम0एल0 की धारिता में देशी मदिरा की आपूर्ति संलग्न आंगणन चार्ट के अनुसार अधिकतम् थोक/फुटकर मूल्यों पर अनुमन्य किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त (किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव।